रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 नवम्बर, 1995/7 अग्रहायण, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 नवम्बर, 1995

संख्या एल० एल० आर० डी० (6) 10/95-लैजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 28-11-1995 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 1995 (1995 का 11) को 1995 के हिमाचल प्रदेश

3687-राजपत्र/95-28-11-95--1,289. मूल्य : 1 रुपया।

अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

कुलदीप चन्द सूद,
सचिव ।

1995 का अधिनियम संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1995

(राज्यपाल द्वारा तारीख 28 नवम्बर, 1995 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1995 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में, "एक सौ पच्चास" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "दो सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6-ख का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में—

(क) उप-धारा (1-अ) म—

(i) खण्ड (i) और (ii) को खण्ड (ii) और (iii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और पुनः संख्यांकित खण्ड (ii) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड (i) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) यदि उसने एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सेवा की है तो तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रतिमास";

(ii) पुनः संख्यांकित खण्ड (ii) में, "तीन सौ पचहत्तर" शब्दों के स्थान पर "सात सौ पच्चास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-धारा (2) के खण्ड (ii) में, "राज्य सभा या लोक सभा या" शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ग) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन पेंन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंन्शन पाने का भी हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ-साथ उप-धारा (1) के अधीन, पेंन्शन प्राप्त करने का हकदार होगा ।"

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 1995.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 1995

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH NOVEMBER, 1995)]

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

Short title

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Amendment of section 4.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1995.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "one hundred and fifty" wherever these occur, the words "two hundred" shall be substituted. 8 of 1971

Amendment of section 6-B.

3. In section 6-B of the principal Act—

(a) in sub-section (1-A)—

(i) clauses (i) and (ii) shall be renumbered as clauses (ii) and (iii) and before clause (ii) so renumbered, the following clause (i) shall be inserted, namely:—

"(i) if he has served for a period not exceeding one year, the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem;"

(ii) in renumbered clause (ii), for the words "three hundred and seventy five", the words, "seven hundred and fifty" shall be substituted ;

(b) in sub-section (2), in clause (ii), the words "the Council of States or the House of the People or" shall be omitted ; and

(c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension."

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।